प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 07.12.2024

थाना मसूरी पुलिस द्वारा लूट की योजना बनाते हुये 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

आज दिनांक 07.12.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर लूट व चोरी की योजना बनाते हुये 02 अभियुक्तों 1.आरिस पुत्र साहिद निवासी सोनी एन्कलेव मसूरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष 2. राशिद पुत्र फखरुद्दीन उर्फ फकरु हाल निवासी मुगल गार्डन थाना मसूरी जिला गाजियाबाद मूल निवासी वावन चौकी पीरवाली गली बुलन्दशहर, उम्र करीब 23 वर्ष को डीएमई एक्सप्रेस-वे के नीचे नाहल को जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुये । अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम लोग मौका पाकर राह चलते लोगों के साथ लूट व चोरी की घटना कारित करते हैं तथा अभियुक्त आरिस ने बताया कि मैंने यह तमंचा अपने पास लोगों को डराने व धमकाने के लिए रख लिया था ताकि यदि कोई व्यक्ति लूट व चोरी करने का विरोध करे तो मैं तमंचा दिखाकर डरा सकूं ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता –

1.आरिस पुत्र साहिद निवासी सोनी एन्कलेव मसूरी थाना मसूरी जिला गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष ।

2. राशिद पुत्र फखरुद्दीन उर्फ फकरु हाल निवासी मुगल गार्डन थाना मसूरी जिला गाजियाबाद मूल निवासी वावन चौकी पीरवाली गली बुलन्दशहर, उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

एक अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त राशिद पर थाना मसूरी पर पूर्व में लूट की योजना बनाने व आबकारी अधिनियम का एक –एक अभियोग पंजीकृत हैं तथा दोनों अभियुक्तों पर थाना मसूरी पर लूट की योजना बनाने व शस्त्र अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम ।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अवैध शराब 40 पव्वे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 06.12.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान सब्लू गढी समाधि के पास से 01 अभियुक्त नवाब पुत्र शमशीर निवासी एक मीनार मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया जिसके कब्जे से 40 पव्वे देशी अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से चोरी छिपे शराब के पव्वे कम दामों में लाकर मुनाफा कमाने के लिये आते-जाते लोगों को बेचता हूँ । आज मैं सब्लू गढी पर पव्वे बेच रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

नवाब पुत्र शमशीर निवासी एक मीनार मस्जिद के पास अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध अवैध शराब बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरणः-

40 पव्वे देशी अवैध शराब हरियाणा मार्का बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला व चोरी का माल खरीदने वाला कुल 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 ई-रिक्शा बॉडी कटी हुई, भिन्न-भिन्न मार्का की ई-रिक्शा के अन्य पुर्जे व ई-रिक्शा खोलने के औजार, 01 ई-रिक्शा बैटरी व कुल 13100 रुपये बरामद।

दिनांक 05.12.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के बाहर से ई-रिक्शा चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 07.12.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी करने वाले व चोरी का माल खरीदने वाले 02 अभियुक्तों 1.शक्ति पुत्र जितेन्द्र निवासी गली नं0 3 राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष 2. सुरजीत उर्फ लम्बू सरदार पुत्र दलवीर सिंह निवासी कुम्हार कालोनी गोविन्द टाउन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी रंजीतनगर माधे बाबा का कुआ थाना एनईबी जिला अलवर राजस्थान, उम्र करीब 38 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से चोरी की 01 ई-रिक्शा बॉडी कटी हुई, भिन्न-भिन्न मार्का की ई-रिक्शा के अन्य पुर्जे व ई-रिक्शा खोलने के औजार, 01 ई-रिक्शा बैटरी व कुल 13100 रुपये बरामद हुये। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त शक्ति ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने दो दिन पहले अपने मोहल्ले से ही एक ई-रिक्शा चोरी किया था जिसे मैंने 10000/- रूपये में सेवाधाम के पास पाइपलाइन रोड पर सुरजीत उर्फ लम्बू सरदार को बेंच दिया था जिसमें से 3100/- रूपये मुझसे बरामद हुये हैं बाकी रूपये मुझसे खर्च हो गये थे तथा सुरजीत उर्फ लम्बू सरदार ने पूछने पर बताया कि मेरी डेन्टिग पेंटिग की वर्कशाप है मैं उसी वर्कशाप के अन्दर चोरी के ई-रिक्शा खरीदकर काटकर उसके पार्टस बेंच देता हूँ ये 10000/- रूपये जो मुझसे बरामद हुए हैं ये मैंने चोरी का सामान खरीदने के लिए रखे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1.शक्ति पुत्र जितेन्द्र निवासी गली नं0 3 राजीव गार्डन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 21 वर्ष।

2. सुरजीत उर्फ लम्बू सरदार पुत्र दलवीर सिंह निवासी कुम्हार कालोनी गोविन्द टाउन थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद मूल निवासी रंजीतनगर माधे बाबा का कुआ थाना एनईबी जिला अलवर राजस्थान, उम्र करीब 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर चोरी/बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत हैं अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 01 ई-रिक्शा बॉडी कटी हुई, भिन्न-भिन्न मार्का की ई-रिक्शा के अन्य पुर्जे व ई-रिक्शा खोलने के औजार, 01 ई-रिक्शा बैटरी व कुल 13100/- रुपये बरामद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा अभियुक्त लोकेश कुमार उर्फ लोकेश राजपूत के विरुद्ध गैगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई कुर्की की कार्यवाही, 04 करोड़ 25 लाख की संपत्ति कुर्क

संक्षिप्त विवरण- अभियुक्त लोकेश कुमार पुत्र मेवाराम निवासी BH-2,801 क्लासिक रेसीडन्सी,राजनगर एक्सटेंशन थाना नंदग्राम एक शातिर किस्म का गैंगस्टर है,जिसने अपना एक गैंग बनाकर फर्जी तरीके से फर्म खोलकर लोगो को पैसा डबल करने का प्रलोभन देकर धोखाधड़ी करते हुए जमा पैसों से अपने व अपने परिवार के नाम पर करोड़ों की अचल सम्पत्ती अर्जित की गयी। अभियुक्त लोकेश के विरुद्ध विभिन्न थानों मे धोखाधड़ी, जालसाज़ी, अमानत में खयानत ,आपराधिक षडयंत्र,गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी आदि अपराधों के 16 अभियोग दर्ज है,जिसमे वर्तमान मे वह डासना जेल गाज़ियाबाद मे निरुद्ध है । अभियुक्त लोकेश एक अभ्यस्त अपराधी है, जिसके गैंग के विरुद्ध थाना कविनगर पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है

विवेचना के क्रम में यह पाया गया कि अपने शौक को पूरा करने के लिए इसने अपने सह अभियुक्त कमल पुत्र ओमप्रकाश व सह अभियुक्ता नेहा शर्मा पुत्री गोपाल शर्मा के साथ अपना एक गैंग बनाकर फर्जी फर्म खोलकर वर्ष 2017 से लेकर 2024 तक जालसाज़ी, धोखाधड़ी,आपराधिक षडयंत्र कर धनराशि हड़प लेना जैसे गंभीर अपराध मे लिप्त रहकर समाज विरोधी क्रियाकलाप करते हुए अवैध रुप से करोड़ो की चल अचल सम्पत्तियाँ अर्जित की गयी। अभियुक्त लोकेश कुमार उपरोक्त व इसकी पत्नी लवी राजपूत की आय का अन्य कोई स्रोत नही है। लोकेश राजपूत द्वारा अपने गैंग के साथ अपराध के माध्यम अवैध तरीके से अर्जित किये गए धन के द्वारा निम्न अचल संपत्ति क्रय की गई है।

कुर्की की गयी सम्पत्ति का विवरण ....

1- खसरा नं0 1290 आवासीय फ्रीहोल्ड प्लाट नं0 5 व 6 ब्लाक सी सूर्यागार्डन बहद ग्राम रईसपुर थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद। क्षेत्रफल167.22 वर्ग मीटर कीमत लगभग 01 करोड रूपये
2- रिटेल शाप बियरिंग नं0 एस 77 सेकन्ड फ्लौर लोकेटिड इन रिटेल शाप बिल्डिंग के डब्लू दिल्ली 6 सद्दीक नगर राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। क्षेत्रफल 24.34 वर्ग मीटर कीतम लगभग 75 लाख रूपये।
3- निर्माणाधीन दुकान खसरा नं0 1102 स्थित नूरनगर एन एच 58 बाईपास राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद। क्षेत्रफल 2064.78 वर्ग फुट कीमत करीब 02 करोड 50 लाख रूपये

विवेचना से पाया गया कि अभियुक्त लोकेश कुमार के पास आय का कोई वैध स्रोत नही है, उक्त अचल सम्पत्ति उसके द्वारा गैंग बनाकर स्वयं एवं गैंग के सदस्यों के साथ अपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई है।
उक्त अवैध अर्जित संपत्तियों को न्याय हित मे कुर्क (attach) किया जाना आवश्यक मानते हुए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत माननीय न्यायालय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाज़ियाबाद को रिपोर्ट प्रेषित की गई, जिसके आधार पर माननीय न्यायलय पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा समाधान पाए जाने पर उपरोक्त तीनों अचल संपत्तियों को कुर्क(attach) करने का आदेश पारित किया गया है

आज दिनांक 7/12/2024 को सहायक पुलिस आयुक्त कविनगर व थाना प्रभारी मधुबन बापुधाम द्वारा उक्त सभी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्यवाही की गई है।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त लोकेश कुमार उर्फ लोकेश राजपूत उपरोक्त-
अभियुक्त लोकेश कुमार उर्फ लोकेश राजपूत के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगो का विवरण निम्नवत है।

1.थाना कविनगर पर कुल 07 अभियोग।
2.थाना सिहानीगेट पर 05 अभियोग।
3.थाना लिंकरोड पर 02 अभियोग।
4. थाना साहिबाबाद पर 01 अभियोग।
5.थाना नन्दग्राम पर 01 अभियोग।
कुल 16 अभियोग पंजीकृत है

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-
थाना मधुबन बापूधाम पुलिस टीम

स्वॉट टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा थाना टीला मोड़ क्षेत्रांतर्गत प्राप्त सिर विहीन शव को रोड के किनारे फेंकने की घटना कारित करने वाला 25000/- रूपये का ईनामी मुख्य अभियुक्त व 03 अन्य अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 छुरी, मृतक की मानव खोपड़ी , 01 जानवर की खोपड़ी व 01 मोबाइल फोन बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 22.06.2024 को थाना टीला मोड़ पर सूचना प्राप्त हुई कि लोनी भौपुरा रोड के किनारे नाले के पास एक अज्ञात व्यक्ति का सिर विहीन शव पडा हुआ है। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना टीला मोड़ पुलिस मौके पर पहुँची तो यह तथ्य प्रकाश में आए कि लोक विहार सहकारी आवास समिति जंगल पंचशील लोनी भौपुरा रोड़ के किनारे नाले के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पडा था। जिसका सिर नही था। जिसके सम्बन्ध में थाना टीला मोड़ पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कराया गया। शव की पहचान हेतु व उपरोक्त घटना को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई थी। तथा आस-पास के जनपदों, राज्यों में पतारसी-सुरागरसी एवं दर्ज समस्त गुमशुदगी व ऑनलाइन जिपनैट व आईसीजेएस के माध्यम से तथा परिजनों से व्यक्तिगत मिलकर शव शिनाख्त कर वैधानिक कार्यवाही की गयी। उपरोक्त घटनाक्रम में थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 07.12.2024 को स्वॉट टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा सिर विहीन शव को रोड के किनारे फेंकने की घटना कारित करने वाला 25000/- रूपये का ईनामी मुख्य अभियुक्त विकास उर्फ परमात्मा पुत्र जगदीश पटेल नि0 गांव हुसैनी बाजार थाना डुमरिया घाट जिला मोतीहारी बिहार उम्र 24 वर्ष को 80 फुटा रोड के सामने बजीराबाद रोड से गिरफ्तार किया गया विकास उर्फ परमात्मा की निशानदेही पर प्रकाश में आये 03 अभियुक्त 1. नरेन्द्र उर्फ एन डी पुत्र स्व0 अभिमन्यु निवासी डी-2/355 नन्द नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र 32 वर्ष को जीटीबी अस्पताल के गेट के पास से गिरफ्तार किया गया, 2. पवन कुमार पुत्र रामजी लाल निवासी सी-18 आदर्श नगर बैंगलोर रोड थाना आदर्श नगर दिल्ली-33 उम्र करीब 40 वर्ष को उसी के निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया, 3. पंकज कुमार पुत्र रामजी लाल निवासी सी-18 आदर्श नगर बैंगलोर रोड थाना आदर्श नगर दिल्ली-33 उम्र करीब 32 वर्ष को उसी के निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। मुख्य अभियुक्त विकास उर्फ परमात्मा पुत्र जगदीश पटेल निवासी उपरोक्त की निशान देही पर घटना में प्रयुक्त छुरी व अभियुक्त पंकज कुमार पुत्र रामजी लाल व पवन कुमार पुत्र रामजी लाल की निशान देही पर मृतक की मानव खोपड़ी व 01 जानवर की खोपडी को छिपाने के उद्देश्य से मजलिस पार्क मैट्रो स्टेशन के पास वाले नाले मे मैट्रो लाईन के नीचे पत्थर से बांध कर डूबो दिया था ताकि खोपडी ऊपर न आ सके व घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूर्व में ही दिनांक 15.08.2024 को अभियुक्त विकास उर्फ मोटा पुत्र शिव शंकर प्रसाद गुप्ता उर्फ मुन्ना शाह हाल निवासी किरायेदार अमितपाल मं0नं0 457 गली नं01 ताहिरपुर थाना जी टी बी इन्कलेव दिल्ली मूल निवासी ग्राम विदुरिया थाना बलूराज जिला मुजफ्फरपुर बिहार उम्र 24 वर्ष को 01 ऑटो रिक्शा व 01 आलाकत्ल छुरी के साथ गिरफ्तार किया गया। तथा दिनांक 16.08.2024 को धंनज्य पुत्र स्व0 श्री समा सहनी निवासी हुसैनी थाना डुमरिया घाट जनपद मोतिहार बिहार हाल निवासी उपरोक्त को 01 ई-रिक्शा व 01 आलाकत्ल छुरी के साथ गिरफ्तार किया था जिन्हे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरण

- गिरफ्तार अभियुक्त विकास उर्फ परमात्मा पुत्र जगदीश पटेल उपरोक्त ने पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि मेरे गांव का रहने वाला धनन्जय पुत्र समा सहनी भी दिल्ली मे रहकर खाना बनाने का काम करता था तथा हमारा एक दोस्त विकास उर्फ मोटा आटो चलाता था। मै तथा विकास ताहिरपुर दिल्ली मे किराये पर कमरा लेकर एक साथ ही रहते थे। धनन्जय भी हमारे पास कमरे पर आता जाता था। ई- रिक्शा चलाते हुए ही मेरी जान पहचान नरेन्द्र उर्फ एन डी पुत्र स्व0 अभिमन्यु निवासी डी-02/355 नन्द नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली से हो गय़ी थी। नरेन्द्र उर्फ एन डी जी0टी0बी0 अस्पताल शाहदरा दिल्ली मे लिफ्ट चलाने का काम करता है। एक दिन नरेन्द्र उर्फ एन डी ने मुझसे कहा कि मै तुम्हे काफी पैसे की कमाई करा सकता हूँ। मैने पूछा कैसे तो उसने बताया कि तुम्हे एक आदमी की खोपडी का इंतजाम करना है और उस खोपडी से मेरा दोस्त पवन कुमार पुत्र रामजी लाल व उसका भाई पकंज पुत्र रामजीलाल जो सी-18 आदर्श नगर बैंगलोर रोड थाना आदर्श नगर दिल्ली-33 मे रहते है, तंत्र विद्या करेगे उससे काफी कमाई होगी और तुम्हे भी काफी पैसा मिलेगा। मै तुम्हे उनसे मिलवा दूंगा। मुझे भी पैसो की आवश्यकता थी। मै लालच मे आ गया। मै व धनन्जय से विकास प्रजापति ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करो जिसकी हत्या कर मानव खोपडी प्राप्त की जा सके तो धनन्जय ने कहा कि यह काम मुझ पर छोड दो फिर मैने व मेरे साथी धनन्जय तथा विकास उर्फ मोटा ने हमदर्द चौराहा दिल्ली से एक ऐसे व्यक्ति की तलाश की जिसका आगे पीछे कोई नही था। तथा वह नशा करने का आदी था उसका नाम राजू कुमार पुत्र भैरो साह निवासी ग्राम बिसणपुरा थाना पीपरा जिला मोतिहारी बिहार था। दिनांक 15/06/24 को हम तीनो ने उस व्यक्ति को नशा कराया और अपने साथ कमरे पर ले गये। कई दिन तक वह हमारे साथ हमारे कमरे पर ही रहा और हम उसे नशा कराते रहे। दिनांक 21/22.06.24 की रात्रि मे हमने फिर उसे और शराब पिलाई और नशा हो जाने पर उसके गले मे गमछे का फंदा लगाकर पंखे से लटका दिया जब वह मर गया तो उसके शव को छिपाने के उद्देश्य से विकास उर्फ मोटा के आटो मे रखकर पंचशील के जंगल मे ले गये। आटो को विकास उर्फ मोटा किराये पर चलाता था। पंचशील के जंगल मे रोड के किनारे आटो को खडा करके राजू कुमार के शव को आटो से बाहर निकाल कर हम तीनो के द्वारा छुरी से मृत राजू कुमार की गर्दन को काट कर शरीर से अलग कर दिया तथा उसके सिर को अपने कमरे से ही साथ में लाये। लाश की पहचान न हो यह सोचकर हमने राजू कुमार के कपडे बदल दिये थे मैने उसे अपने लोवर व ओरेन्ज रंग की शर्ट पहना दी थी। फिर मैने चाकू की मदद से खोपडी को छीलकर साफ किया।तथा खोपडी की छीलन को कमरे के पीछे खाली मैदान जिसमे ज्यादातर नशेडी नशा करते रहते है के पास कचरे के डिब्बे मे डाल दिया था तथा जिस छुरी से मैने खोपडी को छीला था उस छुरी को पोलीथीन मे रखकर दीवार के पीछे खाली मैदान मे झाडियो मे छिपा दिया था।
- गिरफ्तार अभियुक्त नरेन्द्र उर्फ एन्डी ने पूछताछ में बताया कि मै नन्द नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली का रहना वाला हुँ। मै जी0टी0बी0 अस्पताल शाहदरा दिल्ली मे लिफ्ट चलाने का काम करता हुँ। मेरी मुलाकात विकास उर्फ परमात्मा व उसके दोस्त धनन्जय व विकास उर्फ मोटा से हुयी थी। मेरे द्वारा विकास उर्फ परमात्मा व धनन्जय व विकास उर्फ मोटा के साथ मिलकर बहुत सारा पैसा कमाने की योजना बनाते हुये यह बात कही गयी कि मै ऐसे व्यक्तियो को जनता हूँ जो हमे काफी सारा पैसा की कमाई करा सकते है। विकास उर्फ परमात्मा द्वारा पूछा कैसे तो मैने बताया कि तुम्हे एक मानव की खोपडी का इंतजाम करना होगा और उस खोपडी से मेरे दोस्त पवन कुमार पुत्र रामजी लाल व उसका भाई पकंज पुत्र रामजीलाल जो सी-18 आदर्श नगर बैंगलोर रोड थाना आदर्श नगर दिल्ली-33 मे रहने वाले है, जो तंत्र विद्या कर उससे काफी पैसो की कमाई हो सकती है कमाई होने पर हम सबको भी काफी पैसा मिलेगा इसी लालच मे आकर विकास उर्फ परमात्मा , व धनन्जय व विकास प्रजापति द्वारा एक मानव की हत्या कर उसकी खोपडी लेकर आये जिसे हम चारो के द्वारा पवन (तात्रिंक) व पकंज को तंत्र विद्या कर पैसा कमाने के लिये दी गयी व तंत्र विद्या कर कमाये गये पैसो को आपस मे बांट लेगे।
- गिरफ्तार अभियुक्त पवन पुत्र रामजीलाल ने पूछताछ में बताया कि - मैं सी-18 आदर्श नगर बैंगलोर रोड थाना आदर्श नगर दिल्ली का रहना वाला हुँ। मै तंत्र विद्या का काम घर पर रह कर ही करता हुँ। मेरे द्वारा घर पर लोगो तंत्र विद्या उनकी परेशानी दुर पैसा कमाया जाता है। मेरी मुलाकात नरेन्द्र के द्वारा विकास उर्फ परमात्मा से हुयी जिन्हे मेरे द्वारा बताया गया कि तुम्हे एक मानव खोपडी का इन्तजाम करना होगा जिससे मे और पंकज तंत्र विद्या कर काफी पैसो की कमाई कर सकते है। नरेन्द्र व विकास उर्फ परमात्मा के द्वारा एक मानव खोपडी मुझे व पंकज को लाकर

तंत्र विद्या से पैसा कमाने के लिये दी थी। जिससे मै और पंकज तंत्र विद्या करने लगे। जब हमे यह पता चला कि विकास उर्फ परमात्मा को पुलिस ने पकड लिया है। तो हम दोनो ने पकडे जाने के भय से उस खोपडी को छिपाने के उद्देश्य से मजलिस पार्क मैट्रो स्टेशन के पास वाले नाले मे मैट्रो लाईन के नीचे पत्थर से बांध कर डूबो दिया था ताकि खोपडी ऊपर न आ सके को छुपा दिया था।

- गिरफ्तार अभियुक्त पंकज पुत्र रामजीलाल ने पूछताछ में बताया कि - मैं सी-18 आदर्श नगर बैंगलोर रोड थाना आदर्श नगर दिल्ली का रहना वाला हुँ। मै और पवन तंत्र विद्या का काम करता हुँ। मेरे व पवन के द्वारा घर पर लोगो तंत्र विद्या उनकी परेशानी दुर करने मे सहयोग किया जाता है। नरेन्द्र व विकास उर्फ परमात्मा के द्वारा पवन के तंत्र विद्या कर काफी पैसो की कमाई करने हेतु मानव खोपडी दी गयी। जिससे मै और पवन तंत्र विद्या करने लगे। जब हमे यह पता चला कि विकास उर्फ परमात्मा को पुलिस ने पकड लिया है। तो हम दोनो ने पकडे जाने के भय से उस खोपडी को छिपाने के उद्देश्य से मजलिस पार्क मैट्रो स्टेशन के पास वाले नाले मे मैट्रो लाईन के नीचे पत्थर से बांध कर डूबो दिया था ताकि खोपडी ऊपर न आ सके को छुपा दिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. विकास उर्फ परमात्मा पुत्र जगदीश पटेल नि0 गांव हुसैनी बाजार थाना डुमरिया घाट जिला मोतीहारी बिहार उम्र 24 वर्ष।
2. नरेन्द्र उर्फ एन डी पुत्र स्व0 अभिमन्यु निवासी डी-02/355 नन्द नगरी थाना नन्द नगरी दिल्ली उम्र 32 वर्ष।
3. पवन कुमार पुत्र रामजी लाल नि0 सी-18 आदर्श नगर बैंगलोर रोड थाना आदर्श नगर दिल्ली-33 उम्र 40 वर्ष।
4. पकंज पुत्र रामजीलाल नि0 सी-18 आदर्श नगर बैंगलोर रोड थाना आदर्श नगर दिल्ली-33 उम्र 33 वर्ष ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 छुरी, मृतक की मानव खोपड़ी व 01 जानवर की खोपड़ी व 01 मोबाइल फोन बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम</u>

स्वॉट टीम ट्रान्स हिण्डन जोन व थाना टीला मोड़ पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद।

<u>कार्यवाही का विवरण:</u> दिनांक 06.12.2024 को थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर खास की सूचना पर दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त मोहम्मद मुस्तकीम पुत्र इब्राहिम निवासी हिण्डन पुस्ता बालाजी बिहार साईं मन्दिर के पास गली नं0 01 म0नं0 101 थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 37 वर्ष को वैशाली सेक्टर 2/5 की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण:</u> गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये की अभियुक्त मोहम्मद मुस्तकीम पुत्र इब्राहिम निवासी उपरोक्त ने उक्त स्कूटी को दिल्ली से अप्रैल 2023 में चोरी किया था। जिसे बेचने की फिराक में इधर-उधर घूम रहा था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:</u>

मोहम्मद मुस्तकीम पुत्र इब्राहिम नि0 हिण्डन पुस्ता बालाजी बिहार साईं मन्दिर के पास गली नं0 01 म0नं0 101 थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद, उम्र करीब 37 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण:-</u>

चोरी की 01 स्कूटी ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-</u>

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।